संख्या-10/2015/193/78-2-2015-25आई.टी./2001

प्रेषक,

जी.एस. प्रियदर्शी,
विशेष सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 **लखनऊ:दिनांक: 18 फरवरी, 2015**

विषयः कम्प्यूटर क्रय प्रकिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या-08/78-आई.टी.-2-2001, दिनांक 12 सितम्बर 2001 एव इस सम्बंध में समय-समय पर विभाग द्वारा जारी अन्य शासनादेशों द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों निकायों, परिषद तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा कम्प्यूटर क्रय के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2. शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य संगठनों को कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर की आपूर्ति के लिए "निक्सी", यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, यू0पी0डेस्को, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0 तथा श्रीट्रान इण्डिया लि0 को अधिकृत किया गया है। मा. विधायकों/विधान परिषद सदस्यों तथा सचिवालय में कार्यरत प्रमुख सचिव/सचिव तथा विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को लैपटॉप एवं सहवर्ती उपकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 को अधिकृत किया गया है।

3. शासकीय अधिकारियों को कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों की आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य इलेक्ट्रानिक्स उपकरण यथा नोट्स, स्मार्ट फोन्स (Smart Phones), इत्यादि भी क्रय किये जाने हेतु अनुमन्य कर दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा समय-समय पर एलईडी टीवी इत्यादि की भी मांग की जाती है।

4. अतएव सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन तथा शासकीय विभागों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए, शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, निकायों, परिषद तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों के साथ-साथ निम्नांकित इलेक्ट्रानिक्स उत्पाद भी शासन द्वारा नामित उक्त संस्थाओं से क्रय किये जा सकते हैं-

- Voice Loggers
- Video Conferencing Equipments/Video Wall

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

- Smart Phones Application Based (Black Berry, iphone 5/6S, Android/ Windows based)
- Fablet (Any Calling Tablet)
- EPABX and Telephone/Cordless equipments
- Cyber Crime & Forensic Equipments
- LCD/LED Television /Projectors
- DVD/Blue Ray/MP3 Players / iPad Players
- Vehicle Tracking System/ GPS Devices
- Auto Security Systems
- Bar Code Scanner
- Handheld Billing Machines/PDA Devices
- CCTV Equipments
- Digital Devices/Products इत्यादि।

शासनादेश 08/78-आई.टी.-2-2001, दिनांक 12 सितम्बर, 2001 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

(जी.एस. प्रियदर्शी)
विशेष सचिव।

संख्या: 10/2015/193(1)/78-2-2015 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त/औद्योगिक विकास आयुक्त/समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा सचिवालय, उ0प्र0।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, विधान परिषद सचिवालय, उ0प्र0।
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
9. एस.आई.ओ., एन.आई.सी. लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी/यूपीडेस्को/श्रीट्रान इण्डिया लि0/अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in